

कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग,
सिरपुर भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)

16-8-16

ज्ञाप क्रमांक 33011032 /स्था./प्र.अ./13
प्रति,

रायपुर, दिनांक 06/08/2016

- 1/ 2/
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
- 3/
अभियांत्रिकीय महाविद्यालय

विषय : इंजीनियरिंग इन्टर्नशिप योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

संदर्भ : 1/ इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 33011725/स्था./प्र.अ./13 दिनांक 05.5.16
2/ इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 33011003/स्था./प्र.अ./13 दिनांक 17.6.16

-0-

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करना चाहेंगे। विषयांतर्गत इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे युवाओं को अधोसंरचनात्मक गतिविधियों के योजना निर्माण, क्रियान्वयन तथा गुणवत्ता नियंत्रण का कार्य करते हुए (On the Job) अनुभव प्रदान करने के लिए विभाग में "इंजीनियरिंग इन्टर्नशिप योजना" प्रारंभ की गई है। इस योजना के प्रावधान निम्नानुसार है :-

1. चयनित अभ्यर्थियों को लोक निर्माण विभाग के मंत्रालय, प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता अथवा अधीक्षण अभियंता कार्यालयों में पदस्थ किया जायेगा तथा समय-समय पर उक्त कार्यालय के कार्यक्षेत्र में चल रहे कार्यों के निरीक्षण हेतु भी भेजा जायेगा।

इन्टर्नशिप के दौरान ये चयनित अभ्यर्थी एस्टीमेट निर्माण, उसके परीक्षण एवं क्रियान्वयन में संबंधित कार्यालय प्रमुख की सहायता करेंगे एवं कार्यों की मॉनिटरिंग तथा इसके लिये नवीन तकनीक का उपयोग करने साथ ही गुणवत्ता नियंत्रण हेतु योजना तैयार करने में कार्यालय प्रमुख की सहायता करेंगे।

इन्टर्नशिप योजना की अवधि 01 वर्ष होगी, जो इन्टर्न की कार्यक्षमता एवं उसके द्वारा किये गये कार्य की गुणवत्ता एवं चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर 1 वर्ष तक और बढ़ाई जा सकेगी। परन्तु किसी भी स्थिति में 02 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तथापि यदि किसी इन्टर्न की कार्यक्षमता, ज्ञान अथवा कार्य निष्पादन में कमी पाई जाती है तो विभागीय समिति द्वारा अनुशंसा करने के उपरांत उसे कार्य से 15 दिन की सूचना पर हटाया जा सकेगा।



Kshitiz Verma
Pl. Upload
the copy of
letter on website
19/8/16

3. इन्टर्नशिप की अवधि में रूपये 25,000/- प्रतिमाह एक मुश्त राशि प्रदान की जावेगी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता इत्यादि इन्टर्न को प्रदान नहीं किया जायेगा।
4. इन्टर्न के चयन के लिये केवल ऑनलाईन पद्धति से आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। (इस हेतु कृपया विभागीय वेबसाईट www.cg.nic.in/pwdraipur देखें।) इन्टर्न के चयन के लिये स्नातक परीक्षा, स्नातकोत्तर परीक्षा में प्राप्त अंकों तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को जोड़ते हुये चयन सूची बनाई जायेगी। स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा का वेटेज 40%-40% तथा साक्षात्कार का वेटेज 20% होगा। साक्षात्कार हेतु एक पद के विरुद्ध 03 अभ्यर्थी स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा के प्राप्तांकों को जोड़ने के उपरांत बनाई गई मेरिट सूची से बुलाये जायेंगे।
5. ऐसे अभ्यर्थी जो मान्यता प्राप्त संस्थाओं/विश्वविद्यालय से कम से कम प्रथम श्रेणी में स्नातक (60%) अंक प्राप्त किये हो तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग की किसी शाखा में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की हो अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा के अंतिम सेमेस्टर में अध्ययनरत हो को ही आवेदन की पात्रता होगी।
6. इन्टर्न के चयन हेतु एक विभागीय चयन समिति गठित की जायेगी, चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। अंतिम चयन सूची 01 वर्ष की अवधि के लिये प्रभावशील होगी। पद रिक्त होने पर चयन सूची से आगामी अभ्यर्थी को अवसर दिया जायेगा।
7. प्रत्येक इन्टर्न को माह की समाप्ति पर 01 दिवस का आकस्मिक अवकाश अर्जित होगा। आकस्मिक अवकाश संपूर्ण कैलेंडर वर्ष में कभी भी लिया जा सकता है।
8. समस्त इंजीनियरिंग इन्टर्न को अपने कार्य के प्रति समर्पण एवं निस्वार्थ आचरण प्रस्तुत करना होगा। कार्य के दौरान सदैव गोपनीयता बनाई रखनी होगी। कार्य के दौरान कोई अन्य कार्य करने या लेने पर प्रतिबंध होगा। अपने मुख्यालय से बाहर जाने के पूर्व सूचना कार्यालय प्रमुख को प्रदान करनी होगी। बिना पूर्व स्वीकृति के अवकाश नहीं लिया जायेगा।
अनुरोध है कि आप अपने संस्थान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत तथा अध्ययन कर चुके छात्रों को इस योजना का लाभ उठाने के लिये प्रेरित करने का कृपया कष्ट करें।

सहपत्र : शून्य।


प्रमुख अभियंता


लोक निर्माण विभाग
रायपुर (छत्तीसगढ़)

पृष्ठांकन क्रमांक 33011032 /स्था./प्र.अ./13
प्रतिलिपि :

रायपुर, दिनांक 06/08/2016

- 1/ प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नम्रा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 2/ कुल सचिव, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई जिला - दुर्ग (छत्तीसगढ़) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

सहपत्र : शून्य।


प्रमुख अभियंता

लोक निर्माण विभाग
रायपुर (छत्तीसगढ़)